प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 1679 /एम0–एन0जी0टी वाद/2023 दिनांक 18 दिसम्बर, 2023

विषयः–ओ0ए0 सं0–462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि ओ0ए0 सं0–462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 का संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

......" 13. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate to seek response thereto from (1) State of Uttar Pradesh, through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, (3) District Magistrate, Gonda, Uttar Pradesh, (4) UPPCB, through its Member Secretary (5) Mr. Satyanarayan S/o Ram Avtar R/o Village-Majharat, Tehsil-Tarabganj, District-Gonda and (6) Mr. Umesh Kumar Singh, R/o of Village Khanpur, P.S. Wazirganj, Tehsil-Tarabganj, District-Gonda who stand impleaded as respondents no. 1 to 6. Memo of parties be prepared and attached with the application accordingly........."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुक्रम में अपर जिलाधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या–2895/खनन अनुभाग गो0/2023–24 दिनांक 28.11.2023 (संलग्नक–1) द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 21.09.2023 को जाँच की गयी। जाँच आख्या के अनुसारः–

1. अस्थायी व ग्रामीण सड़क की स्थिति से स्थलीय जाँचोपरान्त टीम द्वारा जाँच में उल्लिखित किया गया है कि 700 ट्रकों का आवागमन सम्भव नही है।
2. 20 लाख घनमीटर साधारण बालू का भण्डारण कहीं नही पाया गया। खनन विभाग द्वारा जाँच कमेटी को यह सूचना उपलब्ध करायी गयी कि 03 स्थानों पर साधारण बालू का भण्डारण है, जिसमें से 02 स्थानों पर नवाबगंज गिर्द एवं परसापुर में अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू को दिनांक 04.08.2023 को जब्त कर थाने की सुपुर्दगी में दिया गया है एवं भण्डारण स्थल से सम्बन्धित भूःस्वामियों को दिनांक 04.09.2023 को नोटिस भेजा गया था, जिसके जवाब में सभी भूःस्वामियों द्वारा भण्डारण से इंकार/अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।
3. पटपरगंज पुल का निरीक्षण किया गया जिसमें पुल की स्थिति को ठीक बताया गया।

विषयगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुपालन में जनपद में तैनात खान निरीक्षक, गोण्डा द्वारा थाना–नवाबगंज में दिनांक 24.11.2023 को अज्ञात भण्डारणकर्ताओं/खननकर्ताओं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी चुकी है।

निदेशालय के कार्यालय आदेश सं0–1445/एम0–एन0जी0टी0 वाद दिनांक 01.12.2023 द्वारा याचिकाकर्ता श्री राजा राम सिंह के पत्र दिनांक 03.04.2023 में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं की जाँच हेतु निदेशालय स्तर पर जाँच दल का गठन किया गया। गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 05.12.2023 को मौके का निरीक्षण किया गया जिसकी जाँच आख्या निदेशालय में दिनांक 06.12.2023 (संलग्नक–2) को प्रस्तुत की गयी है। उक्त जॉच आख्या के अनुसार *"आज दिनांक 05.12.2023 को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पत्र संख्या 145/एम–एन0जी0टी0/2023 दिनांक 01.12.2023 के अनुपालन में जिसके द्वारा ओ0ए0 संख्या 462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुपालन में याचिका कर्ता श्री राजा राम सिंह के पत्र दिनांक 03.04.2023 में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं की जॉच हेतु 04 सदस्यी जॉच दल का गठन किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में गठित जॉच दल के सदस्य द्वारा तहसील तरबगंज के उपजिलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी तथा जनपद में तैनात खान निरीक्षके सहयोग से आस–पास क्षेत्रों की जॉच की गई।*

1. मौके पर सर्वप्रथम शिकायतकर्ता श्री राजा राम पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह के शिकायती प्रार्थना पत्र में दिये गये पते पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया। इनके दिये गये पते 287/4, मिलिट्री कम्प, गुप्तारधाट अयोध्या धाम में इस क्षेत्र में उक्त कोई मकान नम्बर नहीं पाया गया और न ही राजा राम नाम का कोई व्यक्ति इस पते पर रहता है। आस–पास में निवास करने वाले व्यक्तियों ने अपने बयान में बताया कि आस–पास में जय माता सरयू संरक्षण समिति के नाम से कोई संस्था रजिस्टर्ड यहॉ इस पते पर नहीं है। शिकायती प्रार्थना पत्र में कोई मोबाईल नम्बर नहीं दिया गया है, जिससे शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित किया जा सके। इस प्रकार शिकायतकर्ता से किसी प्रकार का कोई सम्पर्क नहीं हो सका। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या 2477/ख0अनुज्ञा/22–23 दिनांक 10.03.2023 द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम–52 के अन्तर्गत तहसील तरबगंज मॉझा राठ आराजी संख्या 505 क्षेत्रफल 0.4580 है0 में कृषि भूमि में 12824 घ0मी0 साधारण बालू की निकासी हेतु संबंधित भूमिधर श्री सत्यनरायन पुत्र राम औतार निवासी ग्राम मॉझा राठ तहसील तरबगंज जिला गोण्डा के पक्ष में तीन माह हेतु दिनांक 13.03.2023 से 12.06.2023 तक खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया था। जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। सत्यनरायन पुत्र राम औतार सूचना के पश्चात भी मौके पर उपस्थित नहीं हुए। खनन अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत क्षेत्र पहुॅच मार्ग पटपरगंज पुल से गॉव मॉझा राठ तक पक्का मार्ग बना है, जिसके बाद कच्चा रास्ता है। स्वीकृत क्षेत्र तक जाने के लिए मात्र पैदल रास्ता ही वर्तमान में उपलब्ध है। बीच में सरयू नदी की पतली सी सोती है, जिसमें पानी भरा है। अतः उक्त स्थल तक ट्रैक्टर के माध्यम से पार कर स्थल तक पैदल ही पहुॅचना सम्भव हो पाया । आराजी संख्या 505 का स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि अधिकांश भाग सूखा क्षेत्र है, जिसमें गेंहू का फसल बोया गया है तथा शेष क्षेत्र नदी तल में है जहॉ पर वर्तमान में नदी का सोता बह रहा है, जिसमें पानी भरा है। यद्यपि जॉच वर्षा ऋतु के बाद की जा रही है अतः जॉच के दौरान वर्तमान में मौके परऊपरी हिस्से में खनन का चिन्ह नहीं पाया गया है, नदी तल के शेष भाग, जिसमें सोता बह रहा है, में खनन कार्य किया जाना प्रतीत होता है। पानी भरा होने के कारण मौके पर वर्तमान में मापन किया जाना सम्भव नहीं है। खनन अनुज्ञा पत्र के ऑन लाईन पोर्टल पर 12824 घ0मी0 मात्रा स्वीकृत था, जिसकी पूरी मात्रा अनुज्ञा पत्र धारक श्री सत्य नरायन द्वारा निकासी कर ली गई है। स्वीकृत स्थल पर पुराना कच्चा रास्ता को देखने से प्रतीत होता है कि 700 ट्रकों का प्रतिदिन निकासी किया जाना सम्भव नहीं है।

2. मौके पर स्थलीय जॉच के दौरान पटपरगंज पुल एवं सड़क मार्ग का क्षतिग्रस्त होना नहीं पाया गया। इसके पश्चात ग्राम नवाबगंज गिर्द के गाटा संख्या 129 रकबा 1.1606 है0 पर जो बिजली उपकेन्द्र नवाबगंज के पास डी0ए0वी0 हास्टल के पीछे साधारण बालू का 9337.5 घ0मी0 का अवैध भण्डारण पाया गया साथ ही ग्राम परसापुर के गाटा संख्या 1374 रकबा 4.011 है0 में रोड के किनारे उत्तर पूर्वी तरफ साधारण बालू का 4464 घ0मी0 अवैध भण्डारण पाया गया, जिसके संबंध में खान निरीक्षक गोण्डा द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.11.2023 को थाना नवाबगंज में बिना भण्डारण लाईसेन्स प्राप्त किये ही अवैध भण्डारण के कारण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं भारतीय दण्ड सहिता की धारा 379 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। वर्तमान में थानाध्यक्ष नवाबगंज द्वारा जॉच की कार्यवाही की जा रही है। मौके पर अवैध साधारण बालू का पुराना भण्डारण ही किया हुआ पाया गया। वर्तमान में क्षेत्र में कोई अवैध खनन अथवा परिवहन करते हुए नहीं पाया गया और न ही कोई साक्ष्य दृष्टिगोचर होता है।"

यह भी अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या–462 वर्ष 2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के बिन्दु संख्या–8 व 9 में यह आदेश पारित किये गये है कि:–

...."8. In its report the Joint Committee has mentioned that the short term permit for a period of three months w.e.f. 13.03.2023 to 12.06.2023 was granted by the District Magistrate, Gonda without any requirement of environmental clearance from SEIAA and consent from UPPCB on the ground that the same was not made mandatory by the Mining Department. As per the directions given by the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal no sand mining irrespective of area size can be permitted without environmental clearance from SEIAA and consent from SPCBs/SPCCs. Question as to permissibility/validity of such short term permits without environmental clearance from SEIAA and consent from SPCB/SPCC arises in the present case and requires response from the concerned authorities/persons.

9. However, in view of the precautionary principle embodied in Section 20 of National Green Tribunal Act, 2010, we consider it appropriate to direct that till the next date of hearing fixed no short term permit for mining of minor mineral (sand, Morrum etc.) be granted in the State of Uttar Pradesh without EC from SEIAA and consent from UPPCB and without following Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 in this regard."

उक्त आदेश के अनुपालन में निदेशालय के पत्र संख्या–1470/एम0–एन0जी0टी0 वाद/2023 दिनांक 05.12.2023 (संलग्नक–3) सपठित द्वारा प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र लिखा गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(signature) 08/12/23

(माला श्रीवास्तव)

निदेशक।

संख्या — /एम0–एन0जी0टी वाद/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. श्री मुकेश वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

(माला श्रीवास्तव)

निदेशक।

संलग्नक-1

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी,
गोण्डा।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन लखनऊ।

संख्या 2895/खनन अनुभाग गो0/2023-24 दिनांकः 28नवम्बर ,2023

विषय मा0एन0जी0टी0नई दिल्ली में याजित ओ0ए0 नं0 462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 व 07-11-2023 से सम्बन्धित कमवार सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

--

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि 03.04.2023 राजाराम सिंह पुत्र श्री धिरेन्द्र निवासी- 287/4, मिलिट्री केन्द्र गुप्तारघाट अयोध्या द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 03-04-2023 जिसमें शिकायत की गयी थी तहसील तरबगंज ग्राम मांझाराठ,जैतपुर,पटपरगंज व एंव आसपास के ग्रामों में माा0 ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष एंव सांसद कैसरगंज द्वारा भारी मात्रा में लगभग 700ट्रक रोज अवैध खनन करवाकर ओवरलोडेड ट्रको से लादकर बेचवाया जा रहा है एंव 200डम्पर रोज नवाबगंज थाना मार्ग के किनारे अपने धर्मकांटा के पीछे भण्डारण किया जा रहा है। मात्र 12000घनमीटर का परमिट लेकर 20लाख घनमीटर बालू बेच चुके है। 250एकड़ भूमि में अवैध खनन कराकर माँ सरयू का बहुत बड़े पैमाने पर दोहन किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 02-08-2023 को आदेश पारित करते हुये प्रकरण की जॉच कराने टीम गठित की गयी जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डा0टी0एन0सिह क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या को संयुक्त समिति का सदस्य एंव नोडल अधिकारी नामित किया गया।

नोडल अधिकारी डा0 टी0एन0सिह की अध्यक्षता में दिनांक 21-09-2023 को 1- श्री सुरेश कुमार सोनी,अपर जिलाधिकारी,
2- डा0सत्या अपर निदेशक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
3- श्री राजेन्द्र डी पाटिल, सांइटिस्ट-डी, सीपीसीबी आरडी लखनऊ
4- डा0 फैजुल्लाह खान, ईसी,एनएमसीजी,नई दिल्ली
5- डी टी0एन0 सिंह0,आरओ,यूपीपीसीबी अयोध्या।

उपरोक्त टीम द्वारा जॉच की गयी जॉचोपरांत अपनी संयुक्त जॉच आख्या मा0 एन0जी0टी0 को मूल रूप में सौपी गयी। जिसमें अस्थायी व ग्रामीण सड़क की स्थिति से स्थलीय जॉचोपरांत टीम द्वारा जॉच में उल्लिखित किया गया है कि 700ट्रकों का आवागमन सम्भव नही है, 20लाख घनमीटर साधारण बालू का भण्डारण कहीं नही पाया गया तथा पटपरगंज पुल के निरीक्षण किया जिसमें पुल की स्थिति को ठीक बताया गया। खनन विभाग द्वारा जॉच कमेटी को यह सूचना उपलब्ध कराई गई कि 03स्थानों पर साधारण बालू भण्डारण है जिसमें से 02स्थानों पर नवाबगंज गिर्द एवं परसापुर में अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू को दिनांक 04–08–2023 को जब्त कर थाने की सुपुर्दगी में दिया गया है एंव भण्डारण स्थल से सम्बन्धित भूस्वामियों को दिनांक 04–09–2023 को नोटिस भेजा गया था जिसके जवाब में सभी भूस्वामियों द्वारा भण्डारण से इंकार/अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।

संयुक्त जॉच रिपोर्ट के उपरांत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा राजाराम सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 07–11–2023 को आदेश पारित किये गये आदेश के पैरा–11 के अनुपालन में खान निरीक्षक गोण्डा द्वारा थाना नवाबगज मे दिनांक 24–11–2023 को अज्ञात भण्डारकर्ताओं/खननकर्ताओं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है तथा आदेश के पैरा–12के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 के कन्सलटेंट जुडिशियल नई दिल्ली को पत्र के माध्यम से दिनांक 25–11–2023 को अवगत कराया जा चुका है। प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 01–12–2023 को सुनवाई हेतु अगली तिथि नियत है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार सोनी)
अपर जिलाधिकारी
गोण्डा।

52

संलग्नक-2

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

सं0 8202
दिनांक 07/12/23

6982
13/12/23

महोदया,

कृपया निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 1445/एम–एन.जी.टी. वाद 2023 दिनांक 01.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ओ0ए0 462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता श्री राजा राम सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह के पत्र दिनांक 31.04.2023 में उल्लिखित शिकायतों की जॉच हेतु चार सदस्यीय जॉच दल का गठन किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में गठित जॉच दल द्वारा दिनांक 05.12.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण एवं कार्यालय अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त संयुक्त जॉच आख्या दिनांक 05.12.2023 अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

सं0नि0दे0 (प्र0 लखनऊ)

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक
07-12-2023

संलग्नकः संयुक्त जॉच आख्या

भवदीय,

(आशीष कुमार) 6/12/23
ज्येष्ठ खान अधिकारी।

SMO

13/12/23

15-12-2023
Ankit

संयुक्त जॉच आख्या

आज दिनांक 05–12–2023 को भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय के पत्र संख्या–145 /एम–एन0जी0टी0/2023 दिनाक 01–12–2023 के अनुपालन में जिसके द्वारा ओ0ए0 सं0–462/2023 राजाराम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2023 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता श्री राजाराम सिंह के पत्र दिनांक 03–4–2023 में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं की जॉच हेतु चार सदस्यीय जॉच दल का गठन किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में गठित जॉच दल के सदस्य द्वारा तहसील तरबगज के उप जिलाधिकारी एंव राजस्व कर्मचारी तथा जनपद में तैनात खान निरीक्षक के सहयोग से आस–पास क्षेत्रों जॉच की गयी।

1– मौके पर सर्वप्रथम शिकायतकर्ता श्री राजाराम पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह से शिकायती प्रार्थना पत्र में दिये गये पते पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया। इनके दिये गये पते 287/4 मिलीट्री कैम्प गुप्तारघार अयोध्या धाम में इस क्षेत्र में उक्त कोई मकान नम्बर नही पाया गया और न ही राजाराम नाम से कोई व्यक्ति इस पते पर रहता है। आस–पास में निवास करने वाले व्यक्तियों ने अपने बयान में बताया कि आस–पास में जय माता सरयू संरक्षण समिति के नाम से कोई संस्था रजिस्टर्ड यहॉ इस पते पर नही है। शिकायती प्रार्थना पत्र में कोई मोबाइल नम्बर नही दिया गया जिससे शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित किया जा सके। इस प्रकार शिकायतकर्ता से किसी प्रकार से कोई सम्पर्क नही हो सका। शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी गोण्डा के पत्र संख्या–2477/ख0अनुज्ञा/22–23 दिनांक 10–03–2023 द्वारा उ0प्र0 खनिज परिवहन नियमावली 2021 के नियम–52 के अन्तर्गत तहसील तरबगंज मांझा राठ आराजी स0–505 क्षे0 0.4580हे0 में कृषि भूमि में 12824 घनमीटर साधारण बालू की निकासी हेतु सम्बन्धित भूमिधर श्री सत्यनरायन पुत्र राम औतार निवासी ग्राम मांझा राठ तहसील तरबगंज जिला गोण्डा के पक्ष मे तीन माह हेतु दिनांक 13–03–2023से 12–06–2023 तक खनन अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किया गया था। जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। सत्यनरायन पुत्र राम अवतार सूचना के पश्चात् भी मौके पर उपस्थित नहीं हुए। खनन अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत क्षेत्र पहुंच मार्ग पटपरगंज पुल से गांव माझा राठ तक पक्का मार्ग बना है उसके बाद कच्चा रास्ता है। स्वीकृत क्षेत्र तक जाने के लिए मात्र पैदल रास्ता ही वर्तमान में उपलब्ध है। बीच में सरयू नदी की पतली सी सोती है जिसमे पानी भरा है। अतः उक्त स्थल तक ट्रेक्टर के माध्यम से पार कर स्थल तक पैदल ही पहुंचना सम्भव हो पाया। आराजी सं0–505 का स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि अधिकांश भाग सूखा क्षेत्र है जिसमें गेहूं का फसल बोया गया है तथा शेष क्षेत्र नदी तल में है जहॉ पर वर्तमान में नदी का सोता बह रहा है जिसमें पानी भरा है। यद्यपि जॉच वर्षा ॠतु के बाद की जा रही है अतः जॉच के दौरान वर्तमान में मौके ऊपरी हिस्से में खनन का चिन्ह नही पाया गया है, नदी तल के शेष भाग जिसमें सोता बह रहा है में खनन कार्य किया जाना प्रतीत होता है । पानी भरा होने

के कारण मौके पर वर्तमान में मापन किया जाना सम्भव नही है। खनन अनुज्ञा पत्र के आनलाइन पोर्टल पर 12824 घनमीटर मात्रा स्वीकृत था जिसकी पूरी मात्रा अनुज्ञा पत्र धारक श्री सत्यनरायन द्वारा निकासी कर ली गयी है। स्वीकृत स्थल तक पुराना कच्चा रास्ता को देखने से प्रतीत होता कि 700 ट्रको का प्रतिदिन निकासी किया जाना सम्भव नही है।

2– मौक पर स्थलीय जॉच के दौरान पटपरगंज पुल एंव सड़क मार्ग का क्षतिग्रस्त होना नही पाया गया। इसके पश्चात ग्राम नवाबगंज गिर्द के गाटा सं0–129 रकबा 1.1606 पर जो बिजली उपकेन्द्र नवाबगज के पास डी0ए0वी0 हास्टल के पीछे साधारण बालू का 9337.5 घनमीटर अवैध भण्डारण पाया गया साथ ही ग्राम परसापुर के गाटा सं0–1374 रकबा 4.011हें0 में रोड के किनारे उत्तर पूर्वी तरफ साधारण बालू का 4464 घनमीटर अवैध भण्डारण पाया गया जिसके सम्बन्ध में खान निरीक्षक गोण्डा द्वारा बताया गया कि दिनांक 24–11–2023 को थाना नवाबगंज में बिना भण्डारण लाइसेंस प्राप्त किये ही अवैध भण्डारण के कारण खान एंव खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा–21 एंव भारतीय दण्ड संहिता धारा 379 के अर्न्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (छाया प्रतिसंलग्न) करायी गयी है। वर्तमान में थानाध्यक्ष नवाबगंज द्वारा जॉच की कार्यवाही की जा रही है। मौके पर अवैध साधारण बालू का पुराना भण्डारण ही किया हुआ पाया गया। वर्तमान में क्षेत्र में कोई अवैध खनन अथवा परिवहन करते हुये नही पाया गया और न ही कोई साक्ष्य दृष्टिगोचर होता है।

निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–निरीक्षण क्षेत्र के फोटो ग्राफ्स 10 अदद।

05.12.23	05/12/23	5/XII/23	05/12/2023
रामनाथ सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ	आशीष चौधरी सहायक भूवैज्ञानिक, मुख्यालय लखनऊ	आशीष कुमार ज्ये0खान अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ	सुरेश कुमार सोनी अपर जिलाधिकारी/ जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी

सेवा में,

ज्येष्ठ खान अधिकारी
मुख्यालय, खनिज भवन,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा दूरभाष के माध्यम से दिये गये निर्देश के कम में अवगत कराना है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जनपद अयोध्या के छावनी परिषद के अगल–बगल स्थित गुप्तारघाट क्षेत्र में माता सरयू संरक्षण समिति व उसके संरक्षक श्री राजा राम सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी लेकिन समिति के लेटर पैड़ में उल्लिखित पते की पहचान नहीं हो पायी। गुप्तारघाट आर्मी कैन्ट, क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों से भी जानकारी प्राप्त की गयी और उनके बयान लिये गये जिसकी छायाप्रति महोदय के समक्ष सादर प्रेषित है।

05/12/2023

(डा0 दीपक)
जिला खान अधिकारी
अयोध्या।

बयान

मैं शुभम निषाद S/o श्री शिव कुमार निषाद नि० गुप्तारघाट कैंट जनपद अयोध्या का निवासी हूँ। मेरे पिता श्री शिव कुमार निषाद पूर्व पार्षद भी है मै भलि भाँति क्षेत्र से परिचित हूँ। इस क्षेत्र में मकान नं० 2874 नहीं है। और ना ही राजा राम सिंह नाम के कोई व्यक्ति इस पते पर रहता है। आस पास मे नाग सरयू संरक्षण समिति नाम के कोई संस्था रजिस्टर्ड नही है मै पूरी जानकारी के उपर बाते लिखि है

सुरेश

नाम सुरेश S/o बाबू राम निषाद
नि० गुप्तारघाट कैंट अयोध्या
9648125853

Rakesh Nishad
9696575267
(राकेश निषाद)
पुत्र लाला निषाद
नि० गुप्तार घाट कैन्ट
अयोध्या.

Shubham Nishad
9118096571
शुभम निषाद
S/o शिव कुमार
निषाद
गुप्तारघाट कैंट
छावनी
अयोध्या

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): गोंडा
P.S. (थाना): नवाबगंज Year (वर्ष): 2023
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0529
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 24/11/2023 20:24

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
2	भा दं सं 1860	379

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 04/08/2023 Date To (दिनांक तक): 04/08/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 24/11/2023 Time (समय):20:24 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 078 Date & Time (दिनांक और समय): 24/11/2023 20:24 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): अन्य Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): भिन्न-भिन्न

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name PS NAWABGANJ
Rank I (Inspector)
No. 9454403493

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** श्री विवेक कुमार खान निरीक्षक गोण्डा

(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 2005

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान निरीक्षक गोण्डा ,गोंडा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	खान निरीक्षक गोण्डा ,गोंडा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8887534801

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात			1. अज्ञात,अज्ञात

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाइपशुदा .... सेवा में, प्रभारी थानाध्यक्ष नवाबगंज, जनपद गोण्डा। विषयः एफ0आई0आर0 दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु। महोदय, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एच. ओ2984/सी-6/सा0-791/ओ.ए.नं0-462/2023, दिनांक 16-11-2023 के साथ संलग्नक मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0संख्या-462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07-11-2023 के पैरा -11 में लिखित धाराओं में अवैध खनन किये जाने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त के क्रम में दिनांक 04-08-2023 को अवैध बालू भण्डारण सूचना प्राप्त होने पर राजस्व टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी तरबगंज व तहसीलदार तरबगंज की उपस्थिति मे स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण किया गया जिसमें 02 अवैध साधारण बालू भण्डारित क्षेत्र की आख्या दी गयी थी तथा भण्डारित साधारण बालू को थाना नवाबगंज की अभिरक्षा में दिया गया था। आख्या उपरांत जिलाधिकारी महोदया गोण्डा द्वारा अवैध भण्डारित बालू की मात्रा की जाँच हेत संयुक्त टीम गठित की गयी जिनके द्वारा स्थलीय क्षेत्र में भण्डारित साधारण बालू के मात्रा की जाँच की गयी थी जाँच रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम नवाबगंज गिर्द व परसापुर में बिना लाइसेंस साधारण बालू का चोरी से खनन कर अवैध भण्डारण किया गया है। ग्राम नवाबगंज गिर्द के गाटा सं0-129 रकबा 1.1606 हे0 जो डी0ए0बी0 इण्टर कालेज के नाम खतौनी में दर्ज है, जिसमें 9337.50 घनमीटर बालू का

चोरी से अवैध खनन कर भण्डारण कर लिया गया है, तथा ग्राम परसापुर के गाटा सं0-1374 रकबा 4.011हे0 जो संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है जिसमें 4464 घनमीटर साधारण बालू का चोरी से अवैध खनन कर भण्डारण कर लिया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध अज्ञात भण्डारणकर्ताओं/खननकर्ताओं के विरुद्ध मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 के अनुपालन में खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21, आई0पी0सी01860 की धारा-379 एंव अन्य सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठनीय 24.11.2023 विवेक कुमार खान निरीक्षक, गोण्डा। प्रतिलिपिः-1- जिलाधिकारी महोदया गोण्डा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित। 2- पुलिस अधीक्षक महोदय गोण्डा को सूचनार्थ आवश्यक एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। 3-अपर जिलाधिकारी महोदय गोण्डा की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। खान निरीक्षक गोण्डा। HM/अभियोग पंजीकृत करे। हस्ताक्षर अपठनीय SHO 24.11.2023। नोटः- मैं हे0मो0 जितेन्द्र कुमार पी0एन0ओ0112312028 प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा बोल बोलकर म0का0 शिवानी से कम्प्यूटर पर शिवाय तकनीकि त्रुटि के सही अंकित कराया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): Doodhnath Chaturwedi **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 920440418 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.
(थाना): District
(ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name PS NAWABGANJ
Rank I (Inspector)
No. 9454403493

कार्यालय जिलाधिकारी, गोंडा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक —1477/ख0—अनुज्ञा/2022—23 दिनाँक: 10/03/2023

खनन अनुज्ञा—पत्र
(एमएम—10)

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—2021 के नियम—52 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाइन जारी सहमति पत्र(Letter of intent) पत्रांक संख्या—LOI/2022/5/ 11—05—2022 दिनांक 11.05.2022 द्वारा जनपद—गोंडा के तहसील—तरबगंज स्थित ग्राम— मझाराठ के आराजी गाटा संख्या—505 रकबा 0.4580 हेक्टेयर में कृषि भूमि पर जमा 12824.00 घनमीटर साधारण बालू को हटाने(खनन व परिवहन करने) के लिये खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के निमित्त सम्बन्धित भूमिधर श्री सत्यनरायन पुत्र श्री रामऔतार निवासी ग्राम— माझाराठ, तहसील—तरबगंज जनपद—गोंडा के पक्ष में आशय पत्र (Letter of intent) निर्गत किया गया है। आवेदक/भूमिधर द्वारा आशय पत्र में दिये गये निर्देशो के अनुक्रम में रू0 130.00 प्रतिघनमीटर की दर से अनुज्ञप्त उपखनिज साधारण बालू की कुल मात्रा यानी 12,824,00 घनमीटर साधारण बालू पर देय रायल्टी की सम्पूर्ण धनराशि रू0 16,67,120.00 को चालान संख्या—A500045 *दिनांक 05.01.2023* द्वारा अग्रिम रूप से जमा कर दिया गया है। उपरोक्त क्षेत्र को खनन परिहार पर 03 माह हेतु स्वीकृत किया जाना है।

अतः निम्नलिखित शर्तो के आधीन सम्बन्धित आवेदक/ भू—स्वामी (श्री सत्यनरायन पुत्र श्री रामऔतार निवासी ग्राम—माझाराठ, तहसील—तरबगंज जनपद—गोंडा) के पक्ष में 03 माह (दिनांक— 13 /03 / 2023 से दिनांक 12 / 06 /2023 तक) की अवधि के अन्दर उपरोक्त कृषि भूमि से 12,824.00 घनमीटर साधारण बालू का खनन व परिवहन करने हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाता हैः—

क्र0 स0	क्षेत्र का विवरण				जियो कोआर्डिनेट		अनुज्ञप्त उपखनिज (बालू/मोरग) की मात्रा (घनमीटर)	नियम—52(2) के अनुसार देय न्युनतम रॉयल्टी की दर (रू0 प्रति घनमीटर)	देय रॉयल्टी की कुल धनराशि (रू0 में) (8x9)	देय डी0एम0एफ0 की कुल धनराशि (रू0 में)
	तहसील	ग्राम	आराजी संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	NORTHING	EASTING				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	तरबगंज	माझाराठ	505	0.4580	A-26° 49'18.58" B-26° 49'18.11" C-26° 49'14.93" D-26° 49'12.71" E-26° 49'12.96" F-26° 49'16.53"	A-82°08'02.36" B-82°08'03.32" C-82°08'01.72" D-82°08'00.59" E-82°08'00.01" F-82°08'01.56"	12,824.00	130.00	16,67,120.00	16,67,12.00

शर्तेः

1— अनुज्ञा पत्र पूर्व निर्धारित 03माह की समाप्ति के दिनांक तक अथवा ऐसे दिनांक तक जबतक खनिज की अनुज्ञप्त मात्रा हटा न ली जाये।, इनमें से जो भी पहले हो के लिये वैध रहेगा।

2— खनन अनुज्ञा पत्र के आधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्रो का कोडिनेट्स अंकित करायेगा।

3— खनन संक्रियाओ का संचालन उचित और दक्षपूर्ण कुशल कारीगर की भाति करेगे।

4— नियम—35 में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार परिवहन की निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकॉर्डिग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण किया जायेगा। उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आइ0डी0 स्कैन भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र मे परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये प्रपत्र ई—एम0एम0 11 पर अंकित क्यू0आर0 कोड/बारकोड का डाटा पढने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख—रखाव करेगा एवं संदेव उसे चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरो द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिग को कम से कम तीस दिन तक सुरक्षित रखेगा और नियम—67 के उपबन्धो के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध करायेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा मे नियमावली,2021 के नियम—60 के अन्तर्गत वह शास्ति का भागीदार होगा।

प्राप्त किया

5– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांकः 05.09.2018 के अनुपालन मे पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवा कर निदेशालय मे स्थापित कमाण्ड सेन्टर मे अनुरूप आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर मे इन्टीग्रेट करायेगा। इन्टीग्रेट मे स्थित तौल मशीन के निम्न Features का होना आवश्यक हैः–

(1) The weigh bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.

(2) The weigh bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.

6– तीन मीटर अथवा जल स्तर, दोनो मे से जो कम हो, से परे कोई खनन संक्रियायें नही की जायेगी।

7– उपखनिजो(साधारण बालू) का परिवहन प्रपत्र–ई0एमएम0–11 के माध्यम से किया जायेगा।

8– स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन हेतु प्रपत्र ई–एम0एम0 11 निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जायेगा।

9– राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों मे कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है, तो वह परिहार धारक को मान्य होगी।

10– माननीय उच्च न्यायलय,मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

11– जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र मे खनन कार्य नही किया जायेगा।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

पत्रांक व तद् दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
4– अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)गोण्डा।
5– उपजिलाधिकारी तरबगंज जनपद गोण्डा।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

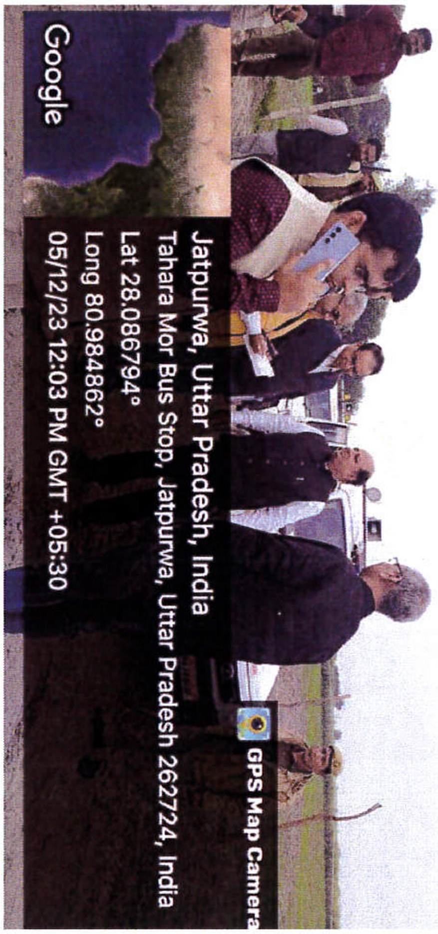
GPS Map Camera
Google
Jatpurwa, Uttar Pradesh, India
Tahara Mor Bus Stop, Jatpurwa, Uttar Pradesh 262724, India
Lat 28.086794°
Long 80.984862°
05/12/23 12:03 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Gonda, Uttar Pradesh, India
Patparganj Rd, Uttar Pradesh, India
Lat 26.84978°
Long 82.134671°
05/12/23 01:27 PM GMT +05:30
Google

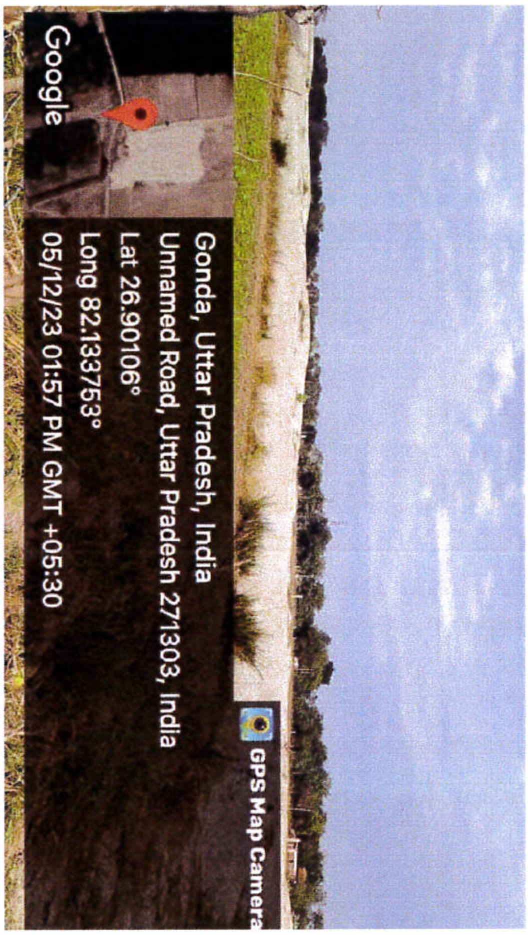
GPS Map Camera
Gonda, Uttar Pradesh, India
Unnamed Road, Uttar Pradesh 271303, India
Lat 26.90106°
Long 82.133753°
05/12/23 01:57 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Faizabad, Uttar Pradesh, India
Bunglow no.4, MG Road, Faizabad Cantt, Faizabad, Fatehpur Saraiya
Manjh, Uttar Pradesh 224001, India
Lat 26.802897°
Long 82.12801°
05/12/23 01:24 PM GMT +05:30
Google

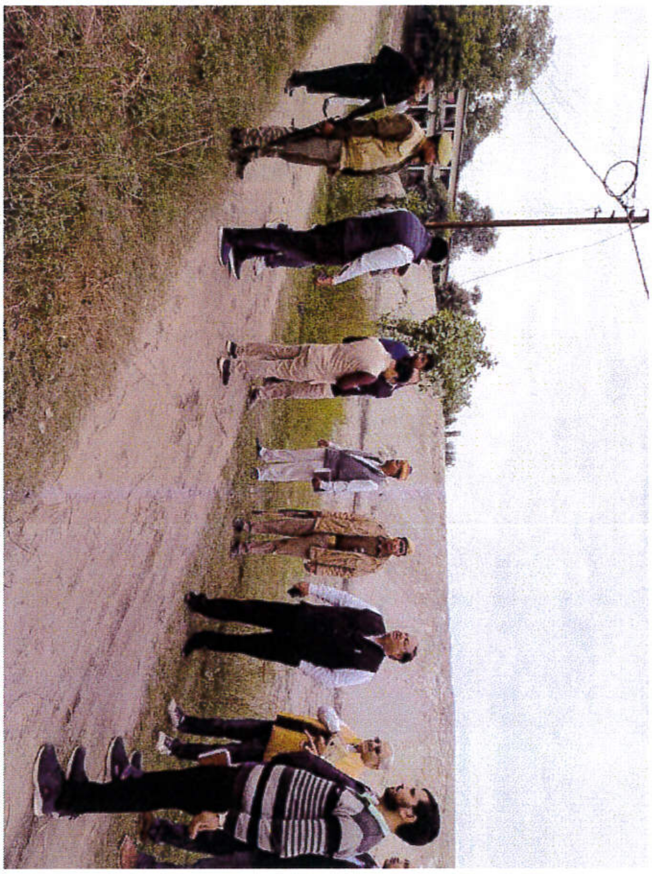

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संख्या 1570 /एम0-एन0जी0टी वाद/2023 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

विषयः- ओ0ए0 सं0-462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि ओ0ए0 सं0-462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 **(संलग्नक-1)** का संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

......"8. In its report the Joint Committee has mentioned that the short term permit for a period of three months w.e.f. 13.03.2023 to 12.06.2023 was granted by the District Magistrate, Gonda without any requirement of environmental clearance from SEIAA and consent from UPPCB on the ground that the same was not made mandatory by the Mining Department. As per the directions given by the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal no sand mining irrespective of area size can be permitted without environmental clearance from SEIAA and consent from SPCBs/SPCCs. Question as to permissibility/validity of such short term permits without environmental clearance from SEIAA and consent from SPCB/SPCC arises in the present case and requires response from the concerned authorities/persons.

9. However, in view of the precautionary principle embodied in Section 20 of National Green Tribunal Act, 2010, we consider it appropriate to direct that till the next date of hearing fixed no short term permit for mining of minor mineral (sand, Morrum etc.) be granted in the State of Uttar Pradesh without EC from SEIAA and consent from UPPCB and without following Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 in this regard"......

2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एक अन्य ओ0ए0 संख्या-176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 **(संलग्नक-2)** के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:-

"55. Cases have come to the notice of this Tribunal in which short term permits for sand mining in river bed/agricultural land have been issued by the District Magistrate in the State of U.P. without environmental clearance by SEIAA in violation of direction given by the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar's case (Supra) and this Tribunal and therefore the Director, Geology and Mining Department, Uttar Pradesh is directed to ensure no such short term permits are issued without EC and strict compliance with statutory provisions, SSMG, 2016 and EMGSM, 2020, Environment Protection Act, 2016 environmental clearance/consent conditions and directions given

by the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal is made by all the Project Proponents and to take action against all the Project Proponents who have not complied with the same. The UPPCB is directed to periodically inspect all mining lease sites in the State of Uttar Pradesh and monitor mining activities for verifying status regarding compliance with statutory provisions, SSMG-2016, EMGSM2020, Environment Act, 2016 and directions given by Hon'ble Supreme Court and this Tribunal and take appropriate remedial action."

3. SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES-2016 के पृष्ठ सं0–58 पर प्राविधानित है कि **(संलग्नक–3 प्रासंगिक– भाग)** :–

"Removal of sand from the agricultural field by the owner farmer of the land from environment point of view will not be considered as mining operation and its removal and disposal can be allowed without the requirement of environment clearance till it is done only to the extent of reclaiming the agricultural land......."

उक्त गाइडलाइन्स के पृष्ठ सं0–72 पर "Exemption of certain cases from being considered as mining for the purpose of requirement of Environmental Clearance" अन्तर्गत क्रमांक–3 पर "3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers". उल्लिखित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु शासन स्तर पर विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
07/12/23
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक। O/C
Ankit